नव भारत, भोपाल
21 OCT 2010

राज्य की उद्योग नीति

राज्य की नई 2010 की औद्योगिक नीति में औद्योगिक विकास के साथ रोजगार के जरिये मानव विकास का भी निर्धारण किया है. आगामी 22 अक्टूबर को पर्यटन नगरी खजराहो में मेगास्तर पर औद्योगिक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है. नई उद्योग नीति में जहां उद्योगपतियों को आकर्षित किया गया है, वहीं उन्हें यह भी बता दिया गया है कि उद्योगों को राज्य के हित में स्थानीय लोगों को रोजगार भी देना होगा. उद्योगों की स्थापना में जिन लोगों से जमीन ली जायेगी उस परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार और उन्हें जरूरी प्रशिक्षण भी देना होगा. जिन उद्योगों को राज्य सरकार प्रोत्साहन व सहूलियतें देगी उन्हें अपने उद्योग में 50 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को देना होगा. यदि किसी उद्योग ने इसमें ज्यादा 90 प्रतिशत रोजगार प्रदान किया, तो उसे राज्य शासन द्वारा और अधिक प्रोत्साहन व सहूलियतें दी जायेंगी.

राज्य शासन 10 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का औद्योगिक विकास संरचना फंड स्थापित करेगी. यह अंतरराष्ट्रीय मानक की औद्योगिक संरचना व सहायक (आग्झेलरी) संरचना करेगी. राज्य में दिल्ली- मुंबई औद्योगिक गलियारे में चार (1) पीथमपुर- धार, महू, (2) रतलाम-नागदा, (3) शाजापुर देवास, (4) नीमच-नयागांव निवेश व औद्योगिक क्षेत्र बनाये जायेंगे. सड़क, ऊर्जा व पानी विकास के लिये पचास प्रतिशत फंड निर्धारित किया गया है. भूमि बैंक की स्थापना की जायेगी जो उद्योगों को भूमि प्रदान करेगा, जो बहुत विशाल (मेगा) उद्योग लगायेगा उन्हें रियायती दर पर भूमि दी जायेगी. उद्योगों पर दोहरे कराधान नहीं होंगे और केप्टिक पावर प्लांट पर टेरिफ में रियायत होगी.

इस औद्योगिक नीति में एक बहुत ही आदर्श प्रावधान किया गया है कि हर शहर में ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायेगा, जो शहर के कचरे का निष्पादन करेंगे. औद्योगिक नीति से शहरों को स्वच्छ रखने की यह व्यवस्था की गई है. राज्य में कई उद्योग बीमार या बंद पड़े हैं. उन्हें फिर से चालू करने के लिये प्रयास होंगे. राज्य में औद्योगिक निवेश व उत्थान का उपयुक्त वातावरण तैयार कर दिया गया है और खजराहो सम्मेलन और उसके अलावा देश-विदेश के औद्योगिक निवेशक मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने आगे आयेंगे.